कार्यालय, संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरू संभाग, चूरू

::कार्यालय आदेश::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–अंग्रेजी (नॉनटीएसपी)–2018/2020 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल–11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/–रू.प्रतिमाह /विद्यमान(पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 02.07.2020 के अनुसरण में दिनांक 22.08.2020 को आयोजित परामर्श शिविर के माध्यम से निम्नांकित अभ्यर्थी को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है ।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

<u>सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–</u>

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे। एंव नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें ।

02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

03. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

04. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

05 भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित Noc for civil Job, NOC for Higher Education, Retirement Diary, PPO, दोहरे लाभ सम्बन्धी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व नियोक्ता को व.अ. भर्ती 2018 के पदों हेतु भरे गये आवेदन की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए, समय–समय पर जारी अधिसूचना/परिपत्र, पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित करावें। आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल प्रेषित की गई है। अतः इनके नियुक्ति आदेश भी प्रोविजनल जारी किये गये है। यह नियुक्ति माननीय न्यायालय निर्णयाधीन रहेगी।

06. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।

07. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।

08.कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

09. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जि अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्था से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है।ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

10.नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/–रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्रा करेंगे । यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गइ तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उन विरूद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी त नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

11.अन्य पिछडा वर्ग मे चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धा प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर ल

नही होता है ,अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवा ई जावे।

12. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एंव निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावें । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

13. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।

14. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जॉच मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावे यदि जॉच में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जावे तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।

15.कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

16.कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

17.वरिष्ठ अध्यापक ,माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियो का आवंटन एवं पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक , माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन समान याचिकाओ के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगी ।

18.पूर्व में सेवारत परिवीक्षाधीन कनिष्ठ सहायक का चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर होने पर पूर्व पद से त्याग पत्र प्रस्तुत करने पर ही नवीन पद पर कार्यग्रहण करवाया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **30.09.2020** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

संलग्नः– आदेश सॅख्या 01 से 02 तक।

(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरू संभाग, चूरू

क्रमांक : संनि/स्कूल–शिक्षा/चूरू/संस्था–ब/आरपीएससी–2018/(अंग्रेजी)/2020 दिनांक 28.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान ....
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरू/झुन्झुनू/सीकर को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान ....
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके है, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरू संभाग, चूरू

कार्यालय–संयुक्त निदेशक, (स्कूल–शिक्षा) चूरू सम्भाग, चूरू

क्रमांकः–संनि / स्कूल–शिक्षा / चूरू / संस्था–ब / आरपीएससी–2018 / अंग्रेजी / 2020 दिनांक **28.08.2020**

आदेश संख्या– 01 विषय–अंग्रेजी

S. NO	MERIT NO.	NAME FATHER NAME AND DOB	ADDRESS	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	POSTING PALACE	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	KANHIYA LAL PAREEK OM PRAKASH 15-10-1991	VILL-BUCHAWAS POST-BUCHAWAS TEH-TARANAGAR CHURU 331304	GENM		GE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RATUSAR (215335), SARDARSHAHAR (08040316003)(TARANAGAR)	
2	4	POONAM YADAV OM PRAKASH YADAV 03-10-1986	54, YADAV BHAWAN, NEAR RADHA SWAMI SATSANG VIYAS JHALANA GRAM MALVIYA NAGAR JAIPUR 302017	GENM		GE,WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYALODRA (219277), PATAN (08130906507)(NEEM KA THANA)	
3	6	SHIVANGNA SHARMA GULAB CHAND SHARMA 22-12-1987	SHIV DUTT VYAS KI HAVELI BANDIA BAS OUT SIDE CHANDPOLE GATE SIKAR 332001	GENM		GE,WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHIRANA (213303), DANTARAMGARH (08130401105)(DHOD (SC))	
4	8	RAJESH KUMAR JAT RAMESHWAR LAL 08-07-1986	NADA KI DHANI VILL BADHAL TEH KISHANGARH RENWAL JAIPUR 303602	GENM		BC	SHAHEED KULDEEP SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAMIYA (213336), DANTARAMGARH (08130407508	
5	10	MUKESH SINGH KAVIYA GANPAT SINGH KAVIYA 14-02-1987	CHARANWAS POST-TAPIPLYA TH-SHRIMADHOPUR SIKAR 332404	GENM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ALODA (213360), DANTARAMGARH (08130414202)(DANTARAMGARH)	
6	14	NARESH KUMAR MANGAWA MURLI DHAR MANGAWA 25-08-1984	CHOPARA KI DHANI NEAR HAMIRPURA KALAN POST BHADWARI VIA KANWAT TEH KHANDELA SIKAR 332708	GENM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGORA (216139), UDAIPURWATI (08050806106)(UDAIPURWATI)	
7	15	NIRMAL KUMAR SUNDA MOHAN LAL SUNDA 06-09-1984	VILL KUDAN POST KUDAN TEH DHOD SIKAR 332031	GENM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAINIPURA (216036), NAWALGARH (08050702301)(NAWALGARH)	
8	20	JAMANA RAM SAINI DHOORA RAM SAINI 10-03-1986	DHANI DABALA VILL-KANKARIA TEH- KHETRI JHUNJHUNU 333053	GENM		BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROOPGARH (213345), DANTARAMGARH (08130409503)(DANTARAMGARH)	

(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरू सम्भाग, चूरू

कार्यालय–संयुक्त निदेशक, (स्कूल–शिक्षा) चूरू सम्भाग, चूरू

क्रमांकः–संनि / स्कूल–शिक्षा / चूरू / संस्था–ब / आरपीएससी–2018 / अंग्रेजी / 2020 दिनांक 28.08.2020

आदेश संख्या– 02 विषय–अंग्रेजी

S. NO	MERIT NO.	NAME FATHER NAME AND DOB	ADDRESS	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	POSTING PALACE	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23	RAJ KUMAR LAL CHAND 20-07-1991	VILL BILLIYAN POST REDI BHURAWAS TEH TARANAGAR CHURU 331304	GENM		SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIRMI KHALSA (215211), RAJGARH (08040204002)(TARANAGAR)	
2	25	POOJA SHARMA RAMAWATAR SHARMA 22-06-1993	WARD NO-42 NEW JANTA COLONY PIPRALI ROAD SIKAR 332001	GENM		GE,WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEVIPURA BANI (216073), NAWALGARH (08050706805)(NAWALGARH)	
3	42	KOMAL SOMARWAL SANGRAM SOMARWAL 26-07-1995	pareekon ka naya bass - LADNUN, Nagaur,Rajasthan NAGAUR 341306	GENM		BC,WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LODHSAR (215451), SUJANGARH (08040502201)(SUJANGARH (SC))	
4	157	MUKESH KUMAR BALDEWA RAM 13-07-1991	VILL. - UDARASAR POST - RAIDHANA TEH. - LADNUN NAGAUR 341303	GENM		SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADABAR (215455), SUJANGARH (08040503403)(RATANGARH)	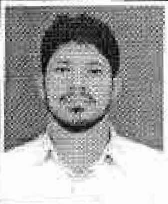
5	410	VIKRAM MEENA JAGDISH PRASAD MEENA 08-07-1991	NEAR SAINT PAULES SCHOOL RADHAKISHANPURA WARD NO-41 SIKAR 332001	STM		ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JILI (215482), SUJANGARH (08040509001)(SUJANGARH (SC))	
6	441	DINESH KUMAR ROHITASVA 06-11-1980	VPO.- KHATAN KHERA - - ALWAR 301701	OBCM	EX	BC,EX	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHASIPURA PATAN SIKAR (219300), PATAN (08130902503)(NEEM KA THANA)	
7	727	VIJAY SINGH JETHU SINGH 05-05-1987	VILL- RAJIYASAR PO- RAJIYASAR STATION TH- SURATGARH SRI GANGANAGAR 335804	GENM	BL	GE,BL, RG	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPALSAR BADA (215352), SARDARSHAHAR (08040321001)(SARDARSHAHAR)	

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरू सम्भाग, चूरू